



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनाँक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 पनवाड़ी श्री विजय कुमार सिंह मय हमराहियान के थाना हाजा पर पंजीकृत **मु.अ.सं. 105/2021 धारा 376/506 भादवि** में वाँछित अभियुक्त जवाहर लोधी पुत्र सीताराम लोधी निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जवाहर लोधी पुत्र सीताराम लोधी निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री विजय कुमार सिंह (प्र0नि0 थाना पनवाड़ी)
- 2- का. निर्भय सिंह
- 3- का. देवेन्द्र कुमार
- 4- का. अवनीश सरोज
- 5- महिला का0 प्रिया देवी



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कबरई पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



दिनांक 01.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त नारायण साहू पुत्र बुद्ध प्रकाश साहू उम्र 40 वर्ष, निवासी मु0 झलकारी बाई कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया, **जिसके कब्जे से 39 अदद अवैध क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई।** जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 167/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

नारायण साहू पुत्र बुद्ध प्रकाश साहू उम्र 40 वर्ष निवासी मु0 झलकारी बाई कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां0 अवनेश कुमार
3. महिला कां0 निशी अग्निहोत्री



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कुलपहाड़ पुलिस ने 02 नफर शातिर अपराधियों को तमंचा व कारतूस सहित किया गिरफ्तार



आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कुलपहाड़ श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित टीम ने 02 नफर अभियुक्तगण (1) मनोज कुशवाहा पुत्र नन्द किशोर कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ (2) सत्यम सिंह पुत्र हरी शंकर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मुहल्ला फतेहपुर बजरिया थाना

कोतवाली नगर जनपद महोबा, जिसके कब्जे से 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद हुआ एवं 01 अदद मोटर साइकिल हीरो सीडी डान सहित ग्राम बागौल तिराहे के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 128/2021 व 129/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 MV. ACT में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मनोज कुशवाहा पुत्र नन्द किशोर कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।
2. सत्यम सिंह पुत्र हरीशंकर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मुहल्ला फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० रघुनाथ यादव
2. कां० देवेन्द्र राजपूत
3. कां० पंकज सिंह
4. कां० अनिल कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके क्षेत्रवासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके बताये गये



आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाव हेतु तरीके बताये गये, जिसमें लोगों को सदैव मास्क का प्रयोग करने व 02 गज की दूरी बनाये रखने एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया साथ ही अपने हाथों को

समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही समस्त थानों द्वारा भी पैदल गस्त के दौरान लोगों से उक्त नियमों का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में आरटीओ अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्मा एवं यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा के साथ सयुक्त चेकिंग कर अवैध तरीके से सवारी लेकर चलने वाली 02 बसों को सीज कर भटीपुरा चौकी पर खड़ी कराया गया तथा 01 बस का चालान किया गया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **23 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **11 व्यक्तियों से 1700/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

